



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54554

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10408 वर्ष 2026

विकास वर्मा एवं 2 अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: श्रेष्ठ प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेष्ठ प्रताप सिंह की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती अर्चना सिंह; राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), एफटीसी तृतीय, बलिया की अदालत में लंबित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत वाद संख्या 2305 वर्ष 2025 (मोनिवा मराफ बनाम विशाल वर्मा एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण विपक्षी संख्या 2 के जेठ और जेठानी हैं, जिनका कथित अपराध से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकगण के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की है। परिवाद में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। वर्तमान मामले में सभी व्यक्तियों को समन किया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जारी नोटिस अवैध, मनमाना और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है।
4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने मामले की कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, प्रथम दृष्टया नोटिस जारी करना न्यायोचित और उचित है। इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सौरभ कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1158 में निम्नानुसार माना है:

"35. जब धारा 12(1) के तहत आवेदन के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग की बात आती है, तो उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2005 एक कल्याणकारी विधान है जो विशेष रूप से उन महिलाओं को न्याय देने और घरेलू हिंसा के कृत्यों को रोकने के लिए बनाया गया है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसलिए, धारा 12(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को बहुत धीमा और सतर्क होना चाहिए। हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब मामला स्पष्ट रूप से घोर अवैधता या कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का हो। सामान्य तौर पर, उच्च न्यायालय को धारा 12(1) के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत कार्यवाहियों से निपटते समय एक हस्तक्षेप न करने वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक उच्च न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में संयम नहीं दिखाते, तब तक घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

36. हमें यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 29 के तहत सत्र न्यायालय में अपील का प्रावधान है। इसके विपरीत, सामान्यतः अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश या प्रक्रिया जारी करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता है। यह एक अन्य कारण है कि उच्च न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

.....

39. निष्कर्षतः, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में लिया गया यह विचार कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) से उत्पन्न कार्यवाहियों को चुनौती देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका विचारणीय नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं है। हम यह मानते हैं कि उच्च न्यायालय विद्वान मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12(1) के आवेदन से उत्पन्न कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528) के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हालाँकि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 12(1) के तहत आवेदन से निपटते समय उच्च न्यायालयों को सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। सामान्यतः, धारा 482 के तहत हस्तक्षेप केवल घोर अवैधता या अन्याय के मामले में ही आवश्यक है।"

7. तर्कों पर विचार करने और अभिलेख के परिशीलन के बाद, यह स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाहियाँ अर्ध-दीवानी और आपराधिक प्रकृति की हैं, जिसमें केवल नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदकगण को नोटिस जारी किया है जिसके विरुद्ध आवेदकगण ने वर्तमान आवेदन दायर किया है। आवेदकगण के पास सक्षम न्यायालय के समक्ष आपत्ति दाखिल करने का प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। ऊपर उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, न्यायालय यहाँ चुनौती दी गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

8. हालाँकि, यदि आवेदक दो महीने की अवधि के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति/जवाबी हलफनामा दाखिल करता है, तो उसका निर्णय कानून के अनुसार यथाशीघ्र किया जाएगा।

9. आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17 मार्च, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"